कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

पत्रांक :–524 / न0पा0परि0–स0 / बो0बै0का0कार्यवृत्त / 2025–26 दिनांक :–19.07.2025

सेवा में,

आयुक्त महोदय
मेरठ मण्डल, मेरठ।

द्वारा :– जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

विषय :– नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ) की आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 14.07.2025 के द्वारा पारित संकल्प की सूचना संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि पालिका पत्रांक 04 दिनांक 07.07.2025 द्वारा इस निकाय में दिनांक 14.07.2025 को पालिका सभागार में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा बोर्ड बैठक आहूत करने के लिए एजेण्डा प्रेषित किया गया था **(संलग्न आहूत बोर्ड बैठक का एजेण्डा सूचना)।**

तदानुसार बोर्ड द्वारा दिनांक 14.07.2025 को बोर्ड बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं के सापेक्ष पारित संकल्प प्रस्ताव आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर–7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, मेरठ।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
4. प्रधान लिपिक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बोर्ड बैठक के पारित संकल्प की प्रति पालिका के सूचना पट पर चस्पा व पालिका की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 14.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे नगर पालिका परिषद सरधना के सभागार में श्रीमती सबीला बेगम अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सरधना की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नवत् उपस्थिति रही–

	श्रीमती सबीला बेगम,	अध्यक्ष,
1	श्रीमती अंजली	सदस्य,
2	श्रीमती कविता	सदस्य,
3	श्री मुकेश	सदस्य,
4	श्रीमति तनिका जैन	सदस्य,
5	श्रीमती शगुफ्ता	सदस्य,
6	श्री संजय कुमार	सदस्य,
7	श्री शानू जैन	सदस्य,
8	श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली	सदस्य,
9	श्री शकील	सदस्य,
10	श्रीमती दानिस्ता	सदस्य,
11	श्री शहजाद	सदस्य,
12	श्री शाहिद	सदस्य,
13	श्रीमती शमीना	सदस्य,
14	श्री मोहम्मद खालिद	सदस्य,
15	श्रीमती फिरदौस	सदस्य,
16	श्रीमती राहत परवीन	सदस्य,
17	श्री फरमान	सदस्य,
18	श्री सलीम	सदस्य,
19	श्री मन्नान	सदस्य,
20	श्री आशीष त्यागी	सदस्य,
21	श्री तारिक हसन	सदस्य,

प्रस्ताव संख्या 1 :– गत बैठक की पुष्टि	सदन के समक्ष गत बैठक दिनांक 09.06.2025 व दिनांक 19.06.2025 की पुष्टि हेतु बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त दिनांकों को आहूत बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।
प्रस्ताव संख्या 2 :– नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि तैयार करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि तैयार करने पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया कि शासन के आदेशों के क्रम में सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि तैयार की जानी है। उक्त उपविधि में पालिका द्वारा आवासीय व अनावासीय भवनों के परिसर का डोर–टू–डोर कूड़ा उठाने हेतु यूजर चार्जेज निर्धारित किया जाना है तथा नगर में सड़कों, नाला/नालियों की सफाई के बाद किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा अनाधिकृत स्थल पर कूड़ा फैलाने, थूकने व पालतु पशुओं को मार्ग पर छोड़ने आदि को रोकने हेतु अर्थदण्ड शुल्क निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जानी है, जिस पर सदन में चर्चा उपरान्त यूजर चार्ज पर आगामी बैठक में चर्चा कर तत्समय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया, उक्त के

Shahid

Scanned with OKEN Scanner

	अतिरिक्त नगर में सड़कों, नाला/नालियों की सफाई के बाद किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा अनाधिकृत स्थल पर कूड़ा फैलाने, थूकने व पालतु पशुओं को मार्ग पर छोड़ने आदि को रोकने हेतु अर्थदण्ड निर्धारित करने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 3 :– फिकल स्लज प्रबंधन के लिए उप विधि तैयार करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	फिकल स्लज प्रबंधन के लिए उपविधि तैयार करने के लिए सदन से सहमति चाही गयी तथा सदन को फिकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधन के लिए नगर विकास विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा मॉडल उपविधि से अवगत कराया गया, जिस पर सदन में चर्चा उपरान्त फिकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधन के लिए मॉडल उपविधि तैयार करने पर सहमति बनाते हुए उक्त फिकल स्लज उपविधि में नगर पालिका परिषद सरधना की भौगोलिक व आम जनमानस पर अधिक भार न पड़े इसको दृष्टिगत रखते हुए सदन द्वारा पालिका सदस्यों व पालिका कर्मचारी व अधिशासी अधिकारी की एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लेते हुए फिकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधन के लिए नगर विकास विभाग के मॉडल उपविधि अनुसार उपविधि तैयार करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए उक्त हेतु उपरोक्तानुसार समिति का गठन करने के लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 4 :– मेला बूढा बाबू 2025 में मेले की समयावधि कम होने पर इसी अनुपात में श्री रामलीला कमेटी पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के देय ग्रहकर, जलकर का अनुपातिक समायोजन व श्री रामलीला भवन के प्रयोग शुल्क पर अनुपातिक कटौती करते हुए कार्यवाही करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	उक्त मेला बूढा बाबू 2025 के संबंध में पालिका द्वारा वर्तमान में केवल 16 दिन की अवधि का मेला आयोजित होने के कारण इस अवधि को दृष्टिगत रखते हुए श्री रामलीला कमेटी भवन, ग्राउण्ड व रामलीला कमेटी की दुकानों का वित्तीय वर्ष 2024–25 में देय ग्रहकर, जलकर का इसी अनुपात में समायोजन किया जाये तथा श्री रामलीला भवन के प्रयोग शुल्क पर भी उपरोक्त अवधि अनुसार कटौती करते हुए कार्यवाही की जाये पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान श्री शानू जैन व श्री आशीष सदस्य द्वारा कहा गया कि श्री रामलीला कमेटी द्वारा अपना ग्राउण्ड व भवन पालिका को पूर्व वर्षो के अनुसार एक माह के मेला अवधि आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया है। पालिका स्तर से ही मेले की अवधि कम की गयी है ऐसी स्थिति में अनुपातिक रूप से समायोजन व रामलीला भवन के प्रयोग शुल्क में अनुपातिक कटौती किया जाना उचित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा पालिका हित को दृष्टिगत रखते हुए मेला अवधि कम होने पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के ग्रहकर, जलकर का मेला अवधि अनुसार अनुपातिक गणना के आधार पर समायोजन किया जाये व रामलीला भवन के प्रयोग शुल्क भी मेला अवधि अनुसार गत वर्ष में दिये गये रामलीला भवन के शुल्क को अनुपातिक रूप से कटौती करते हुए रामलीला भवन को भुगतान किया जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

Shahilus

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 5 :– अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	
प्रस्ताव संख्या 5 (1) :– पशु डेयरी संचालकों पर प्रति पशु निर्धारित शुल्क कम किये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष श्री फरमान सदस्य द्वारा पशु डेयरी संचालकों पर पांच रू0 प्रति पशु प्रतिदिन के आधार पर यूजर चार्जेज निर्धारित करते हुए प्रेषित नोटिसों के सापेक्ष यूजर चार्जेज को एक रू0 प्रति पशु प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित कर यूजर चार्जेज वसूली करने के लिए प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया जिस पर सदन द्वारा चर्चा करते हुए पूर्व बोर्ड बैठक में अनुमोदित किये गये पांच रू0 प्रति पशु प्रतिदिन के प्रस्ताव के सापेक्ष एक रू0 प्रति पशु प्रतिदिन के आधार पर डेयरी संचालकों पर यूजर चार्जेज निर्धारित कर यूजर चार्जेज वसूली करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए पूर्व में डेयरी संचालकों को निर्गत डिमांड नोटिसों में एक रू0 प्रति पशु प्रतिदिन के आधार पर शुल्क निर्धारित कर संशोधित डिमांड अनुसार वसूली की कार्यवाही करने हेतु भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उक्त प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही करने के लिए चर्चा उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि यदि उक्त प्रस्ताव अनुसार शासन/प्रशासन से कोई मार्ग–दर्शन प्राप्त किया जाना आवश्यक है तो वह शासन/प्रशासन से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा मार्ग–दर्शन प्राप्त करते हुए शासन/प्रशासन के दिशा–निर्देश प्राप्त कर ही उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (2) :– विद्युत सामग्री कय करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में पथप्रकाश व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार एल0ई0डी0 लाईटें, केबिल आदि विद्युत सामग्री कय करने पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि पुरानी लाईटें आउट आफ वारंटी है उनकी यथा आवश्यक सामग्री कय करते हुए पुरानी लाईटों की मरम्मत करा ली जाये तथा आवश्यकता का निर्धारण कर एल0ई0डी0 लाईटें, केबिल व अन्य प्रकाश सामग्री कय करने की कार्यवाही की जाये तथा साथ ही साथ नगर में मुख्य मार्गो पर अधिष्ठापित विधुत पोलों के साथ–साथ नगर में मेला बूढा बाबू रोड, चर्च रोड, बिनौली रोड, टाउन हॉल रोड आदि पर व तिरंगा लाईट अधिष्ठापित करने हेतु भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, सदन में नगर के विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था की सुचारूता हेतु छोटे हाईमास्ट पोल सहित लाईट अधिष्ठापन करने हेतु भी चर्चा करते हुए आवश्यकतानुसार हाईमास्ट पोल मय एल0ई0डी0 लाईट कय कर उक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (3) :– शासन द्वारा स्वःकर उपाविधि अनुसार कर निर्धारण पर आपत्तियो की सुनवाई पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	श्री शहजाद सदस्य द्वारा सदन के समक्ष पालिका पत्रांक 382 दिनांक 23.06.2025 द्वारा स्वःकर के अर्न्तगत तैयार की गयी कर निर्धारण सूची के फर्शी क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूटों के संबंध में भवन स्वामियों से दिनांक

Shahid

Scanned with OKEN Scanner

	24.07.2025 तक आपित्त मॉगी गयी है, किन्तु किसी भी भवन स्वामी को कोई लिखित नोटिस प्रेषित करते हुए आपत्ति न मॉगने पर आम जन सामान्य को इसका संज्ञान न होने पर पालिका द्वारा सभी भवन स्वामियों को उनके भवनों पर निर्धारित स्वःकर से पालिका द्वारा उनको सूचना प्रेषित करते हुए अवगत कराने उपरांत, भवन स्वामियों से प्राप्त आपत्ति का भली प्रकार से अध्ययन कर सही तरीके से निराकरण किया जाये, इस कार्य में लगभग 03 माह का समय लगेगा, इन 03 माह में सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण करने के बाद ही नगर में आरोपित ग्रहकर/जलकर की आपत्तियों की सुनवाई के बाद कर आरोपित कर उक्तानुसार ही कर वसूलने की कार्यवाही हेतु बिल प्रेषित किये जाये, जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि स्वःकर निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश के अनुक्रम में ही कार्यवाही की जा सकती है, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्वःकर निर्धारण से पूर्व आपत्ति की सुनवाई का पर्याप्त समय देकर ही स्वःकर निर्धारण कर कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 5 (4) :–</u> वृक्षारोपण को दृष्टिगत रखते हुए ट्री गार्ड अधिष्ठापित कराने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन मे चर्चा उपरांत वृक्षारोपण अभियान को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण का कार्य कराने व रोपित किये जाने वाले पौध वृक्षों को बचाने के लिए ट्री गार्ड कय करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, उक्तानुसार कार्यवाही के लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
<u>प्रस्ताव संख्या 5 (5) :–</u> कूडेदान कय करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड	सदन मे चर्चा उपरांत स्वच्छ भारत मिशन के अन्र्तगत कावंड मार्ग व मेले आदि कार्यक्रंमो में कूडे को सुगमता पूर्वक डस्टबिन में डलवाने के लिए आवश्यकतानुसार ट्विन डस्टबिन कय करने व स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आम जनसामान्य को सूखा व गीला कूड़ा पृथक–पृथक देने के लिए सभी वार्डों में आवश्यकतानुसार डस्टबिन क्रय करते हुए परिवारों को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उक्तानुसार सामग्री कय करने की कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
<u>प्रस्ताव संख्या 5 (6) :–</u> नगर के साथ पालिका कार्यालय व अन्य यथा आवश्यक कार्यो को कराये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में पालिका द्वारा कुछ अति आवश्यक सामग्री व कार्य कराने हेतु चर्चा की गयी, चर्चा के दौरान वाटर कूलर बॉडी कय करने व पालिका में आये दिन छोटे बडे कार्यक्रंमो को पर किराये पर कुर्सियां मॅगाने को दृष्टिगत रख आगुन्तको को बैठाने के पर्याप्त संख्या में कुर्सियां व बोर्ड बैठक में सदस्यों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में रिवाल्विंग साईज/प्रकार की कुर्सियां व बोंर्ड बैठक में उत्तम क्वालिटी का कोर्डलेस साउण्ड सिस्टम व शासन/प्रशासन की योजनाओं व लाईव प्रशासन को सुनने व आवश्यकतानुसार वार्ता करने को दृष्टिगत रख उत्तम क्वालिटी का प्रोजेक्टर मय स्पीकर व रिसीवर माईक सहित व सभी मिटिंग के लिए सूक्ष्म जलपान के लिए उत्तम क्वालिटी की पेयजल बोतल व उत्तम क्वालिटी की क्रॉकरी

Shalini B

Scanned with OKEN Scanner

	तथा पालिका कार्यालय में कार्यालय कक्षों हेतु बैठने के लिए आवश्यक फर्नीचर कुर्सी, मेज अभिलेखों को रखने के लिए अलमारी/रेक व सभी पटलों पर वर्तमान की आवश्यकतानुसार हाई स्पीड व उत्तम क्वालिटी के कम्प्यूटर व प्रिन्टर के साथ–साथ पालिका कार्यालय में विद्युत की सुचारूता बनी रहे इस हेतु आवश्यक क्षमता की बैटरी सहित इन्वर्टर व पालिका कार्यलय परिसर तथा कार्यालय कक्षों व पालिका के अन्य भवनों की यथा आवश्यकतानुसार मरम्मत कराते हुए रंगाई पुताई आदि का कार्य कराये जाये व पालिका कार्यालय परिसर में प्रतीक्षालय कक्ष का भी निर्माण कार्य कराये जाये तथा इसके साथ–2 कार्य परिसर भवन को साज–सज्जा से सुसज्जित कराया जाये तथा नगर में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सरधना प्रवेश में परेशानी न हो इसके लिए मुख्य मार्गो व नगर के मुख्य सडको व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों पर पहुंचने के लिए दिशा सूचक (साईनेज बोर्ड) लगवाये जाये व पालिका के सभी प्रकार के सफाई संयत्रो वाहनो आदि व पालिका द्वारा अधिष्ठापित पी0ए0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0 कैमरे आदि की भी समय–समय पर सर्विस कराते हुए मरम्मत कराकर उनको सुचारू रखा जाये, उक्तानुसार कार्यो का प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत करते हुए कार्य कराने व सामग्री कय करने के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
<u>प्रस्ताव संख्या 5 (7) :–</u> मौहल्ला भूलरिया में दुकाने के आवंटन पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में चर्चा उपरांत मौहल्ला भूलरिया में दुकानो के आवंटन पालिका द्वारा पूर्व में निर्धारित किये गये प्रीमियम के आधार पर सार्वजनिक बोली के लिए एक बार समाचार पत्र में प्रकाशन कराने के बाद ,ऐसे प्रकाशन के बाद दुकान आवंटन होने के बाद जो भी दुकाने आवंटन होने हेतु अवशेष रह जाती है, उनकी दुबारा विज्ञप्ति करने के बाद भी कुछ दुकाने आवंटित होने उपरांत दुकाने नीलामी हेतु अवशेष रही जाती है, जिसकी बार–2 समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से प्रकिया करने पर पालिका पर समाचार पत्र के बिल का व्ययभार बढेगा,जिसको दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समाचार पत्र में सभी दुकानो के आवंटन हेतु नीलामी प्रकाशन में नीलामी की तिथि को दुकाने के आवंटन के बाद जो दुकाने नीलामी हेतु अवशेष रही जाती है,उनको प्रत्यके माह के शुरू के सप्ताह में जब तक दुकाने सम्पूर्ण रूप से आवंटित न हो जाये प्रत्येक माह के शुरू के सप्ताह में पालिका में दुकानो के आवंटन के बाद अवशेष दुकानो के आवंटन के लिए पंजीकरण कराकर उनको उस सप्ताह के अंतिम दिवस पर खुली बोली के रूप में नीलाम करायी जाये इस प्रकार की व्यवस्था कराकर दुकानो का आवंटन किया जाये, उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
<u>प्रस्ताव संख्या 5 (8) :–</u> मौहल्ला चकला रोड पर सनातन धर्म इण्टर कॉलेज के सामने यात्री शेड का निर्माण कार्य	श्री तारिक सदस्य द्वारा सनातन धर्म स्कूल के सामने यात्री शेड बनाने हेतु प्रस्ताव रखा, जिस पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल पर यात्री शेड का निर्माण कार्य करा दिया जाये, उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।

Shahid 13

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 5 (9):– ठेकेदारो द्वारा निर्माण कार्यो का विलम्ब से निष्पादन करने पर पेनल्टी योजित करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में निर्माण कार्यो के ठेकेदारो द्वारा कार्य समय से सम्पादित न करने के कारण पालिका की छवि धूमिल होती है, इसको दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा करते हुए निर्माण कार्य स्थल जिनमें निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कोई विवाद आदि नही था तथा निर्माण कार्य करने के दौरान कोई समस्या नही आई थी, ऐसे निर्माण कार्यो को छोडते हुए अन्य निर्माण कार्यो को यदि ठेकेदारो द्वारा द्वारा अनुबंध अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर समय से पूर्ण नही किये जाते है तथा न ही निर्माण कार्य की समय अवधि बढाने हेतु स्पष्ट कारण देकर पालिका के सक्षम अधिकारियों से कोई एक्सटेंशन नही लिया जाता है तो ऐसे ठेकेदारो जिनके द्वारा अपनी मनमर्जी से अपनी सहुलियत अनुसार निर्माण कार्यो को सम्पादित करते है, इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सर्व सम्मति से सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे ठेकेदारो के निष्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यो पर प्रत्येक कार्य की स्थिति अनुसार प्रति दिन अथवा प्रति माह अथवा विलम्ब के लिए प्रतिशत के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित करते हुए अवर अभियंता बिल के समय संबंधित के बिल से कटौती कर बिल तैयार किया जाये,उक्तानुसार विलम्ब शुल्क का निर्धारण कर कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 5 (10):– डोर टू डोर कूडा कलेक्शन के संबंध में विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में डोर–टू–डोर कूडे उठाने वाले संस्था के कर्मियों द्वारा डोर–टू–डोर कूडा समय से न उठाने पर कूडा लेने के समय की जानकारी ली गयी, जिस पर संबंधित ठेकेदार के माध्यम से सदन को अवगत कराया गया कि कूडा प्रातः 06.00 बजे से उठाया जाता है, जिस पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डोर–टू–डोर कूडा का समय प्रातः 06.00 बजे के स्थान पर प्रातः 07.00 बजे निर्धारित कर कूडा उठवाया जाये तथा कूडा लेने वाले सफाई मजदूर को ताकिद किया जाये कि वह जिस गली व वार्ड में जाता है वहां अपने वाहन/रिक्शा ठेली पर लगे स्वच्छता संगीत के साथ–2 अन्य संसाधनों से जनता को कूडा डालने का मैसेज देते हुए प्रत्येक घर पर कूडा डालने का प्रर्याप्त समय देते हुए गाडी/रिक्शा ठेली चलायेगा। संबंधित फर्म द्वारा कूड़ा उठाने के कार्य में सुधार न करने पर डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु पुनः टैण्डर करने का भी निर्णय लिया गया। उक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 5 (11):– आउटसोर्सिग पर आपूर्ति कर्मियों के संबंध में सदस्यो द्वारा दिये गये पत्र पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में श्री शकील अहमद सदस्य के लैटर हैड पर स्वंय श्री शकील अहमद, सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करते हुए अन्य सदस्य कमशः श्री तारिक हसन, श्री मौ0 फरमान, श्री शाहिद, श्रीमती समीना, श्रीमती दानिस्ता, श्रीमती अंजली, श्रीमती नेहा जैन, श्री मुकेश, श्री फिरदोस, श्री मन्नान, श्रीमती राहत परवीन, सदस्यो द्वारा दिये गये पत्र को सदन के समक्ष पत्र की विषय वस्तु रखी गयी, उक्त पत्र में सदस्यों द्वारा मॉग

Shahida

Scanned with OKEN Scanner

	की गयी है कि नगर पालिका परिषद ,सरधना द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूर्व ठेके में चल रहे कर्मचारियो की आपूर्ति के सापेक्ष में नये आउटसोर्सिंग ठेके में सफाई कर्मचारी व अन्य कर्मचारीयो के संख्या बढाकर ठेकेदार को स्वीकृति दी गयी है, जिस क्रम में अवगत कराना है कि नगर पालिका राज्य वित्त से प्राप्त होने वाली धनराशि में अधिकांश धनराशि वेतन में व्यय हो रही है, जिसे नगर विकास नही हो रहा है, अतः सभी सभासदों का ये मत है कि अप्रैल 2024–25 के अनुसार वह ऑफिस के अन्य कर्मचारी यथावत् ही रखें जाये, जिससे राज्य वित्त की हानि नहीं होगी व नगर का विकास होगा तथा सभी सभासद अपने अपने वार्ड में काम करा सकेगे। उक्त पर चर्चा उपरान्त लैटर हैड पर हस्ताक्षर किये हुए सदस्यों के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित श्री शहजाद, श्री शानू जैन सदस्यों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सफाई कार्यों के कई हल्का क्षेत्र खाली है, जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही है जिस कारण पालिका द्वारा नयी आउटसोर्सिंग ठेके में आपूर्ति किये गये कर्मियों को पुनः रखा जाना जनहित में आवश्यक है। किन्तु उक्त पर हंगामे की स्थिति उपरान्त सदन द्वारा चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नये आउटसोर्सिंग ठेके से पूर्व में आउटसोर्सिंग ठेके के अन्तिम माह पर आउटसोर्सिंग कर्मियों की आपूर्ति जिस संख्या पर ली जा रही थी उस संख्या के आधार पर ही वर्तमान में आउटसोर्सिंग कर्मियों की आपूर्ति ली जाये। किसी विशेष परिस्थिति में ही कार्य की आवश्यकता को देखते हुए ही सफाई कर्मी अथवा अन्य कर्मी नये ठेके में बढ़ाये जायें। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 5 (12):–</u> अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा मांग पत्र में उल्लिखित अनुसार कर्मियों को वर्दी व सुरक्षा उपकरण आदि दिलाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड ।	सदन में अखिल भारतीय सफाई मजदूर काग्रेंस के पत्र की विषय वस्तु को सदन से अवगत कराया गया, जिसमें उनके द्वारा स्थाई व संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों तथा डोर टू डोर कर्मचारियों व डम्पिंग ग्राउण्ड कर्मचारियों को सफाई किट (वर्दी गर्मी–ठण्डी, जूते, गलव्स, मास्क इत्यादि) दिलाने व सफाई से संबंधित तमाम सफाई उपकरण पुराने हो चुके है उनके स्थान पर नये दिलाये जाये, जिस पर चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सफाई कर्मियों में नियमित कर्मियों को वर्दी देने के साथ–साथ पालिका के संविदा सफाई कर्मियों को भी वर्दी दिलायी जाये तथा नियमित/संविदा सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में सफाई हेतु सफाई उपकरण उपलब्ध कराये जायें, इसके अतिरिक्त चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मियों की आपूर्ति ली जा ही है उन ऐसे सफाई कर्मियों को भी पालिका द्वारा वर्दी के रूप में ट्रैक सूट व पी0पी0ई0 किट के रूप में रेडियम जैकेट, दस्ताने, मास्क, कैप, गमबूट, जूते व अन्य यथा आवश्यकतानुसार सफाई उपकरण उपलब्ध कराये जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

Shelishi

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 5 (13) :– पालिका में अध्यक्ष भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड	सदन मे चर्चा उपरांत पालिका परिसर में अध्यक्ष नगर पालिका के कार्यालय कक्ष के आगंणन के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के बाद कूछ कार्य जैस टाईल्स व इंटीनियर डेकरोशन आदि का कार्य अधूरा रह गया है उक्त निर्माण को पूर्ण कराने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए उक्त में यथा आवश्यक कार्य कराने के लिए पालिका अवर अभियंता से आगंणन तैयार कराकर शीघ्र अति शीघ्र निविदा आमंत्रण करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उक्तनुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 5 (14) :– पालिका द्वारा महाराजा अग्रसैन द्वार के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड	सदन मे श्रीमती नेहा जैन, सदस्य द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि नगर पालिका द्वारा पूर्व में महाराजा अग्रसैन द्वार के निर्माण कार्य कराया गया था ,किन्तु उक्त कार्य आगंणन के सापेक्ष पूर्ण होने के बाद भी अधूरा रहा गया था, जिस पर सदन में चर्चा उपरांत महाराजा अग्रसैन द्वार के अधून निर्माण को पूर्ण कराने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए उक्त में यथा आवश्यक कार्य कराने के लिए पालिका अवर अभियंता से आगंणन तैयार कराकर शीघ्र अति शीघ्र निविदा आमंत्रण करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उक्तनुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 5 (15) :– साप्ताहिक पैठ के निरस्त की धनराशि को समायोजित करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में श्री हनी पुत्र शुगनचन्द के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित विषय वस्तु कि साप्ताहिक पैठ, ठेका दिनांक 03.08.2024 में वर्ष 2024–2025 में 20,00,000/–बीस लाख रूपये का छोडा गया था, उक्त ठेकान्तर्गत कस्बा सरधना में लगने वाली पैठ मे कुछ पैठ जिसमें दिनांक 04.08.2024 दिन रविवार में नगर पालिका द्वारा ठेका की वसूली की गयी व दिनांक 11.08.2024 में साप्ताहिक पैठ का दुकानदारों द्वारा बहिष्कार किये जाने के कारण निरस्त हो गयी एवं दिनांक 22.09.2024 को कस्बा सरधना में बजरंग दल द्वारा शौर्य संचालन यात्रा के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त साप्ताहिक पैठ बन्द करायी गयी तथा दिनांक 07.10.2024 में महावीर जैन यात्रा के कारण पैठ निरस्त की गयी एवं दिनांक 08.11.2024 में कृपाओ की माता मरियम उत्सव–2024 का आयोजन के कारण दिनांक 10.11.2024 दिन रविवार को लगने वाली साप्ताहिक पैठ निरस्त की गयी है तथा दिनांक 07.04.2025 में श्री राम जन्म उत्सव (रामनोमी) शोभायात्रा के कारण से उक्त साप्ताहिक पैठ निरस्त हुई है एवं दिनांक 08.06.2025 को ईद होने के कारण उक्त लगने वाली साप्ताहिक पैठ निरस्त की गयी है तथा कस्बा सरधना में मेला बूढा बाबू दिनांक 20.06.2025 से दिनांक 05.07.2025 तक के आयोजन हेतु छोडे गये ठेके में पडने वाली साप्ताहिक पैठ दिनांक 22.06.2025 एवं दिनांक 29.06.2025 को मेला का पालिका द्वारा ठेका छोड दिया गया है, जिस कारण से भी उक्त पैठ मेंले में ही सम्मिलित हो गयी है, उपरोक्त दिनांको में निरस्त हुई पैठों की धनराशि माफी करते उक्त दिनांको की धनराशि ठेका शेष धनराशि में समायोजित करने की कृपा करे, उक्त

Shahid

Scanned with OKEN Scanner

	पत्र पर संस्तुति के रूप में सदस्य श्रीमती शगुफता अंसारी, श्रीमती राहत परवीन, श्री संजय कुमार, श्री शकील अहमद, श्री शहिद मलिक, श्रीमती नेहा टाली, श्री तारिक हसन, श्रीमती कविता, श्री मौ0 खालिद, श्री इमरान, श्री शानू जैन, श्रीमती अंजली, श्रीमती तनिका जैन, श्रीमती फिरदोस अंसारी, श्री मुकेश, श्री राहुल पाल, श्री मौ0 फरमान, श्रीमती दानिस्ता, श्री वीर सिंह भाटी, श्री शहजाद द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है से सदन को अवगत कराया गया, जिस पर बैठक में अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पालिका द्वारा यदि ठेकेदार को पैंठ स्थगन का कोई लिखित आदेश निर्गत किया गया है, तो ही पैंठ की बकाया धनराशि में अनुपातिक आधार पर धनराशि का समायोजन हो सकता है तथा यदि पालिका शर्तों में इस प्रकार का कोई प्रावधान किया गया है, तो ही समायोजन की कार्यवाही हो सकती है। उक्त पर चर्चा उपरांत उक्त पत्रानुसार कार्यवाही करने के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया
प्रस्ताव संख्या 5 (16) :– श्रीमती कविता सदस्य द्वारा दिये गये पत्रों पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	श्रीमती कविता सदस्य द्वारा दिये गये पत्रों की विषय वस्तु से सदन को अवगत कराया गया कि– 01 – मौ0 तकियाकेत में वर्तमान चेयरमेन महोदय वाली गली मे स्थित मकानो के पानी निकासी हेतु एक आबचक मे बनी नाली है। जिस पर वर्षो पूर्व एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर मकान बनाया गया है। जिससे पानी की निकासी न होने के कारण सडक पर जल भराव होने के कारण स्थानीय निवासीयो के मकानो मे दरार आ गई है । उक्त आबचक व नाली पर हुए अवैध कब्जा काफी पुराना है । जिस पर मकान भी बना होने के कारण आबचक को कब्जा मुक्त कराने में वर्षो लगने की प्रबल सम्भावना है। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त नाली का निर्माण चेयरमेन महोदय के मकान से होते मस्जिद के कोने तक कराया जाये। अतः उक्त पानी की निकासी को कराने हेतु लोगो की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु अविलम्ब सी0सी0 सडक व नाली का निर्माण कराने हेतु तत्काल टेण्डर जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जाये। 02 – गत वर्ष 2023–24 की संपरीक्षा आख्या के भाग–ख में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "वित्तीय वर्ष 1934–35 से वित्तीय वर्ष 2022–23 तक कि अवधि में कुल 2175 ऑडिट आपत्तियां निस्तारण हेतु लम्बित होना बेहद आपत्तिजनक है जिन पर पालिका प्रशासन द्वारा अविलम्ब ठोस कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है। उक्त सम्बंध में यह भी अवगत कराना है कि पूर्व बोर्ड बैठक में मेरे द्वारा उक्त आपत्तियो के निस्तारण हेतु पत्र दिया गया था किन्तु उक्त पत्र के कम मे अभी तक पालिका प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गई है। अतः पुनः उक्त संबंध में आपसे निवेदन है कि अरबो रूपये के इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उक्त आपत्तियो के सापेक्ष दोषियो के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करते हुए वित्तीय हानि की रिकवरी हेतु कार्यवाही तथा अन्य कृत्यो के कम में विधिक कार्यवाही पालिका प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से कराते हुए उक्त

Shahid B.

Scanned with OKEN Scanner

समस्त आपत्तियो का निस्तारण कराये। तथा उक्त सुझाव की एक एक कॉपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित समस्त उच्चाधिकारियों –डी0एम0 महोदय, आयुक्त महोदय, निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, प्रमुख सचिव महोदय आदि को प्रेषित करने का कष्ट करें।

03 – उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सभी शासनादेशो व अधिनियम मे प्रावधानो व गजट को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका में जितने भी आय के स्रोत है । जैसे निर्माण कार्य की उपविधि अनुसार निर्माण एजेंसियो के लाइसेंस बनाना, विधुत पोल से प्रति पोल की दर से किराया, विधुत ट्रांसफार्मर का किराया वसूलने आदि की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जाए।

04 – दिये गए सभी अग्रिमों का समायोजन किया जाये।

05 – पालिका द्वारा विधि विरूद्व तरीके के ग्राम पंचायत सरधना में पाईप के निर्माण कार्य कराने के सापेक्ष उत्तर प्रदेश शासन स्तर से की गई कार्यवाही में तत्कालीन अध्यक्ष व इ0ओ0 से लगभग 47 लाख रूपये की रिकवरी के आदेश हुए है। चूंकि जॉच में नगर पालिका सरधना द्वारा उक्त अवैध कार्यो से केवल आमदनी होना ही बताया गया था किन्तु मरम्मत आदि में हो रहे और होने वाले खर्च से आर्थिक नुकसान नही बताया गया था। जिस कारण से मरम्मत आदि में हो रहे भुगतान भी अवैध है और न ही पालिका द्वारा किये गये उक्त व्यय की पालिका द्वारा शासन से कोई स्वीकृति प्राप्त है, यह भी अवगत कराना है कि उक्त बोर्ड के कार्यकाल में सीमा क्षेत्र के साथ ही सीमा क्षेत्र के भीतर भी पाईप लाईनों का कार्य हुआ था तथा सीमा क्षेत्र के भीतर सरकार द्वारा जारी की गई योजना के तहत जल निगम द्वारा नगर के पूरे क्षेत्र मे पेयजलापूर्ति हेतु पाइप लाईनो का निर्माण कार्य किया जा चुका है और सीमा क्षेत्र के बाहर इसलिए पाईप लाईनों का कार्य नही कराया गया है चूंकि वे सीमा क्षेत्र के बाहर है जबकि सरकार द्वारा सभी ग्रामीण क्षेत्रो में निःशुल्क पेयजलापूर्ति दी जा रही है। अतः उक्त प्रकरण को गहनता से लेते हुए पालिका की सीमा क्षेत्र के बाहर ग्राम पंचायत सरधना देहात के समस्त क्षेत्रो मे सरकार की योजना अर्न्तगत निःशुल्क पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइनों के कार्यो के कराने के लिये ग्राम पंचायत सरधना के सक्षम अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण व जलनिगम आदि आदि समस्त उच्चधिकारियों को पत्र प्रेषित कर सरकार की योजना अर्न्तगत निःशुल्क पेयजलापूर्ति कार्य कराया जाये।

उक्त पर सदन में चर्चा उपरान्त मा0 सदस्यों द्वारा बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 पर अंकित वार्ड में विकास कराने हेतु जो पत्र दिया गया है उन पर धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराने पर सहमति बनी तथा अन्य बिन्दुओं पर जो पत्र दिये गये है उनमें कुछ पत्र जैसे लाईसेन्स उपविधि बनाने हेतु कहा गया है उसमें बोर्ड द्वारा आगामी में बोर्ड बैठक में मा0 सदस्य द्वारा पृथक से प्रस्ताव रखने की अपेक्षा की गयी ताकि उस पर पृथक से चर्चा हो सके तथा अन्य बिन्दु जो कि पालिका के विरूद्ध कार्यवाही या अन्य मांग की गयी है, बोर्ड बैठक में उस पर कोई कार्यवाही

Shahid B

Scanned with OKEN Scanner

	नियमानुसार किया जाना अपेक्षित न होने के कारण ऐसे प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु का बोर्ड द्वारा कोई संज्ञान न लेते हुए उक्त प्रस्ताव के सापेक्ष कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (17) :– श्री मौहम्मद खालिद सदस्य द्वारा मौहल्ला टाउन हाल रोड पर तालाब के संबंध में दिये गये पत्रानुसार कार्यवाही पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	श्री मोहम्मद खालिद सदस्य द्वारा मौहल्ला टाउनहाल रोड पर स्थित तालाब के सौन्दर्यीकरण के संबंध में सदन के समक्ष निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता से सम्पादित न होने के विषय में दिये गये पत्र पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त निर्माण कार्य की अवर अभियंता से जांच कराकर जांच के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (18) :– श्री मौहम्मद खालिद सदस्य द्वारा ठेका कर्मियों के संबंध में दिये गये पत्रानुसार कार्यवाही पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	श्री मोहम्मद खालिद सदस्य द्वारा 37 ठेका कर्मियों के संबंध में दिये गये पत्र को सदन के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया। सदन द्वारा चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 सदस्य द्वारा दिये गये तथाकथित पत्र के कम में जो कर्मचारी उनके संज्ञान में सफाई कार्य पर नहीं है उनकी सूची पालिका को उपलब्ध करायें ताकि पालिका प्रशासन द्वारा उसमें सुगमतापूर्वक जांच कर ऐसे कार्य पर न आने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (19) :– विकास कार्यों हेतु अल्प अवधि निर्धारित कर निविदा आमंत्रण करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में अध्यक्ष महोदय की ओर से सदन को अवगत कराया गया कि नगर में विकास कार्य कराने हेतु शासनादेश संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 दिनांक 30.06.2021 में मानक संचालन प्रकिया (एस0ओ0पी0) निर्धारित है, जिसमें निर्माण कार्यों को कराने हेतु सामान्य दशा में 40 लाख से कम कार्यों की निविदा अवधि 21 दिन होगी तथा 40 लाख से अधिक के कार्यों की निविदा हेतु अवधि में एक माह का समय रखा जायेगा। यदि अपरिहार्य आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त अवधि को कम करना है तो वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशानुसार तद् विषयक बोर्ड से अनुमति का उल्लेख है। जिस पर सदन में चर्चा हुई सदन द्वारा वर्तमान में विकास कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे सभी विकास कार्यों को कराने हेतु निर्धारित निविदा समयावधि के स्थान पर 7 दिन की निविदा अवधि निर्धारित सर्वसम्मति से की गयी तथा उक्त अवधि अनुसार निविदा आमंत्रण की कार्यवाही अविलम्ब करते हुए निविदा आमंत्रण करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 5 (20) :– वार्ड सदस्यों द्वारा अपने–अपने वार्ड में विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव पत्रों पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में वार्ड सदस्यों द्वारा अपने अपने वार्ड में दिये गये प्रस्ताव में उल्लिखित विकासात्मक कार्यों के प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा गया। **श्रीमती दानिस्ता, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–** 1. अली हसन के मकान से अजीज के मकान तक सी0सी0 सड़क न नाली निर्माण कार्य।

Shahid

Scanned with OKEN Scanner

	2. शमसाद के मकान से शब्बीर के मकान तक सी0सी0 सड़क न नाली निर्माण कार्य। 3. इकराम के मकान से बाबू के मकान तक सी0सी0 सड़क इ0ला0 टाईल्स निर्माण कार्य। माली सहित। 4. इस्लाम के मकान से अब्बास के मकान तक सी0 सी0 ई0ला0टा0 निर्माण कार्य नाली सहित। 5. अब्बास के मकान से प्रवीन के मकान तक सी0सी ई0ला0टा0 निर्माण नाली सहित कराये। 6. ऐमीशाह के मकान से ऐनुदीन के मकान तक सी0सी सड़क व नाली निर्माण कार्य। **श्रीमती शमीना, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–** 1. तकिया इतन्नू शाह से लेकर राजेश की चक्की तक ई0ला0टाईल्स व नाली निर्माण कराये शीघ्रता से कराये। 2. कदीम स्कूल में चार दिवारी का निर्माण व इ0ला0 टाईल्स कराया जाये। **श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–** 1. वार्ड न0 9 गाँधीनगर में पाण्डुशिला रोड पर नव निर्मित आचार्य मैत्री अग्रसैन द्वार का निमार्ण कार्य का कुछ कार्य अधुरा पड़ा है आपसे विन्रम निवेदन है। कि अधुरा कार्य शीघ्र पूरा करवाने की कृपा करे। 2. पाण्डु शिला रोड़ पर आनन्द चौहान से पंडित जी के मकान की गली पर लगातार जल भराव हो रहा है कृपया इस गली का निर्माण पुनः ऊँची करके बनवाने की कृपा करे। 3. वार्ड न0 9 गाँधीनगर में पथ प्रकाश व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब है अतः स्ट्रीट लाईट लगवाने की कृपा करे। **श्री शकील, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–** 1. प्रभात नगर की गलियों के रास्ते बनने है। प्रभात नगर में लाईट भी लगनी है। 2. ऐनुददीन शाह वाली गली बनेगी। 3. मौहल्ला बेलदारान में केक वाली गली व पटवारी जैन जी की गली बनेगी मौहल्ला बेलदारान में और लाईट भी लगेगी। 4. मौहल्ला बेलदारान की कोठी में सड़के व लाईटे लगेगी। 5. मौहल्ला बेलदारान में डा0 बलेश्वर त्यागी से लेकर सडक बनेगी आगा अली शाद के मकान तक। **श्रीमती राहत परवीन, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–** 1. बैरून सराय झोड़ वाली गली में अ0 सलाम कि छामों खां के मकान से यामीन के मकान के पास नाले तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 2. बैरून सराय अली बाबा चौक से उंचापुर चौक तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 3. फूटा चाह अली बाबा चौक से हाजी वहीद के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य व उसकी सहायक

Shahid

	गलियों में भी सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 4. मौ0 सराय अफगानान में अली बाबा चौक से हाफिज महता के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पालिका में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है जिस कारण उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, जिस को दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये विकास कार्यों के प्रस्ताव में अति आवश्यक कार्य को चिन्हिंत करते हुए अति आवश्यक कार्य ही राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाये तथा साथ ही साथ सदन में चर्चा उपरान्त सहमति बनी कि नगर में यदि कहीं भी सडक में कोई गडढा अथवा कोई नाली अथवा नाला क्षतिग्रस्त होता है या पेयजलापूर्ति में समसेबिल अथवा कोई समरसेबिल पम्प, पैनल, आदि खराब होता है या किसी कीटनाश्क दवा आदि की आवश्यकता होती है तो समरसेबिल रिबोर/हैण्डपम्पों/पालिका वाहनों की मरम्मत की समस्या उत्पन्न होती है या कहीं पर अति आवश्यक निर्माण कराया जाना आवश्यक होता है, तो ऐसे कार्यों को चिन्हिंत करते हुए पालिका अवर अभिंयता से आंगणन बनवाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कराया जाये व उपरोक्त अन्य कार्यों पर कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए सभा समाप्त की गयी।

Shakila

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

Scanned with OKEN Scanner